



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, Ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

कमांक 4107 / अका./ डीन नियु./ 2018

बिलासपुर, दिनांक 30-11-2018

आदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 कमांक 25 की धारा 13 के अंतर्गत, परिनियम कमांक 05 (1) के प्रावधानानुसार प्रो० गौतम कुमार पात्रा, आचार्य (रसायनशास्त्र) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को कुलपति जी द्वारा भौतिकीय विज्ञान अध्ययनशाला का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति दिनांक 07-12-2018 से 06-12-2021 तक अर्थात् 03 वर्ष के कार्यकाल के लिये की गई है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर मान० कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ ।
- 2., प्रो० गौतम कुमार पात्रा, आचार्य-रसायन विभाग, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रो० पी० के० बाजपेयी, आचार्य-भौतिक विभाग, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. समन्वयक, आई.टी.सेल, संगणक विज्ञान विभाग की ओर विश्वविद्यालय वेबपटल पर अपलोड हेतु प्रेषित ।
6. कार्यालय प्रति ।

सहायक कुलसचिव (अका०)

CSIT/953
05/12/18

Sudh